कार्यालय जिला पंचायत-धमतरी (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक/1578/जि.पं./शि.पं.स्था./2017-18 धमतरी, दिनांक 13.03.2018

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2012/162, रायपुर दिनांक 17.08.2012 एवं अधिसूचना क्रमांक/पंचा/142/पंग्राविवि/22/2012/563/रायपुर दिनांक 19.11.2012 द्वारा संशोधित तथा समय-समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों के अधीन व्याख्याता (पंचायत) की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2017/287/नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 के माध्यम से शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं/संस्थाओं में व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क/पंचा/शि./पंग्राविवि/22/750/नया रायपुर दिनांक 12.10.2017 के माध्यम से प्राप्त परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची के आधार पर प्रतीक्षारत् अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.11.2017 में अनुमोदन अनुसार आरक्षण रोस्टर के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर वेतनमान 5300-150-8300 तथा उस पर समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता प्रतिमाह में नीचे उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नियुक्त किया जाकर कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

क्र	चयनियत अभ्यर्थी का नाम	पत्र व्यवहार/ स्थायी पता	पद संवर्ग	पदस्थापना शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
		विषय भौतिकी			
1	Shri DEVVRAT	Shri KRISHNA KUMAR, 111 WARD NO - 07 DARRA Dist. Dhamtari	अनारक्षित मुक्त	शास.उ.मा.वि.जीजामगांव	कुरूद
		विषय जीवविज्ञान			
2	Shri RADHESYAM SAHU	Shri AVADH RAM SAHU, GUDGUDA PARKHANDA Dist.DHAMTARI	अनारक्षित मुक्त	शास.उ.मा.वि.घुटकेल	नगरी

शर्तें :-

01. नियुक्त व्याख्याता (पंचा) को दिनांक 22.03.2018 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नही करने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा, कार्यभार ग्रहण करते समय मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदांकित शाला हेतु तत्काल भारमुक्त किया जावेगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भारमुक्त करने के पश्चात् शाला में 03 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, यदि पदस्थ व्याख्याता (पंचा) अनाधिकृत रूप से 07 दिवस तक लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहते है तो उनकी सेवा समाप्त की जावेगी।
02. व्याख्याता (पंचायत) को पदस्थ शाला विशेष में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नही होने पर अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जावेगा। दो वर्ष अथवा सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात् उनके कार्य आचरण तथा कार्यकुशलता के आधार पर छ.ग.पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग भर्ती नियम में उल्लेखित शर्त अनुसार नियमित किया जावेगा।
03. व्याख्याता (पंचायत) की सेवाऐं या तो स्वयं द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में 01 माह की सूचना देकर या 01 माह का वेतन भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

04. चयनित अभ्यर्थी का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रकिया नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता (पंचायत) से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा किसी भी प्रकरण में दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्त की जावेगी।

05. कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यभार ग्रहण मान्य नही किया जावेगा।

06. संबंधित चयनित व्याख्याता (पंचायत) द्वारा जिला पंचायत धमतरी में सत्यापन के दौरान प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार यह नियुक्ति दी जा रही है। यदि मूल प्रमाण पत्रों के जारीकर्ता संस्थाओं से सत्यापन पश्चात् कोई भी प्रमाण पत्र या अभिलेख असत्य एवं फर्जी पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार नियोक्ता का रहेगा इसके विरूद्ध चयनित/नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को वैधानिक अधिकार नहीं रहेगा एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

07. व्याख्याता (पंचायत) जिला पंचायत धमतरी के प्रशासकीय नियत्रंण में रहेगें। दीर्घ शास्ति के लिए जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति तथा लघु शास्ति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी अनुशासनिक प्राधिकारी होगें।

08. व्याख्याता (पंचायत) को ऊपर वर्णित शर्ते से भिन्न सेवा की शर्ते जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान होगी।

09. नियक्त व्याख्याता (पंचायत) जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो उक्त शिक्षाकर्मी की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

10. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर नियम निर्देश व्याख्याता (पंचा.) पर भी यथावत् लागू होगें।

11. यह नियुक्तियॉ रिट पिटिशन कमांक (सी.) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान.न्यायालय द्वारा पारित किय जाने अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यांधीन होगी।

12. चयनित व्याख्याता (पंचा.) को कार्यभार ग्रहण करते समय योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र सही है, उक्त आशय का 20 रूपये के गैर न्यायिक स्टॉम्प में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 05(दो) के प्रावधानानुसार कोई भी व्याख्याता (पंचा.) अपनी से संबंधित किसी मामले के संबंध में ना तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से अभिप्रेरित करेगा।

08. शासन द्वारा जारी समस्त नियमों, निर्देशों के पालन की शर्तो पर ही यह आदेश मान्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

पृ. कमांक/1579/जि.पं./शि.पं.स्था./2017–18 धमतरी,दिनांक-13.03.2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय इंद्रावती भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
6. मान.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य जिला पंचायत धमतरी की ओर सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner

7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ। नवनियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के शालाओं में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर संकलित सूची दिनांक 26.03.2018 तक अनिवार्यः इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरी को सूचनार्थ।
10. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड नगरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। नवनियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की संबंधित शालाओं में कार्यभार ग्रहण उपरांत पालन प्रतिवेदन दिनांक 26.03.18 तक जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर संबंधित प्राचार्य को कार्यभार ग्रहण कराये जाने तत्काल निर्देशित किया जावे। प्रमाण पत्रों एवं वांछित अभिलेखों के परीक्षण में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण/विसंगति होने पर कार्यभार ग्रहण न करावें।
11. प्राचार्य, शास.उ.मा.वि./हाई स्कूल .... विकासखण्ड नगरी की ओर सूचनार्थ। आपके शाला में नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) को निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण कराकर पालन प्रतिवेदन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. राधेश्याम लाडू, ग्राम गुदगुदा परसंदा ...... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। समय–सीमा के अंदर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः देना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि उपरांत आपकी उपस्थिति स्वीकार नही की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

Scanned by CamScanner